रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 15 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 23, 1944 शक संवत्) [संख्या 42

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	841–851	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	843–875	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	199–210	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	487–497	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

04 जुलाई, 2022 ई0

सं0 352/दो-4-2022—संयुक्त निबन्धक, एडमिन (A-1 & A-4) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संया 7463/IV-3812/एडमिन, (A), दिनांक 10 जून, 2022 द्वारा श्री सुदेश कुमार तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मलिहाबाद, लखनऊ सम्प्रति अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमीरपुर के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद मुरादाबाद के स्थान पर सम्भल किये जाने का अनुरोध किया गया है।

संयुक्त निबन्धक, एडमिन (A-1 & A-4) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 10 जून, 2022 के क्रम में एम0जी0ओ0 के प्रस्तर-31 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरांत श्री सुदेश कुमार, तत्कालीन सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मलिहाबाद, लखनऊ सम्प्रति अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमीरपुर के सेवा अभिलेखों में उनका गृह जनपद मुरादाबाद के स्थान पर सम्भल परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं0 359/दो-4-2022-26/2(5)/2011—उप निबन्धक, (Admin Misc.-1) संयुक्त निबन्धक (A-1 & A-4) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-I) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—				
1	सुमित कुमार, न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, मथुरा	7552/IV-4520/Admin. (A-1) दिनांक 14-06-2022	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	एल0एल0एम0	2018
2	ज्योति अग्रवाल, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर	7550/IV-4110/Admin. (A-1) दिनांक 14-06-2022	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र	एल0एल0एम0	2020
3	खुशबू चन्द्रा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद	7616/IV-5127/Admin. (A-1) दिनांक 16-06-2022	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ	एल0एल0एम0	2019

16 अगस्त, 2022 ई0

सं0 574/दो-4-2022-26/2(5)/2011—संयुक्त निबन्धक, (Admin (A-1 & A-4) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायियक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-I) मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—				
1	अभिषेक कुमार, सिविल जज (जू0डि0), बस्ती	9333/IV-5280/Admin. (A-1) दिनांक 30-07-2022	श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ	एल0एल0एम0	2018
2	अतुल कुमार नायक, सिविल जज (जू0डि0), बस्ती	9331/IV-4671/Admin .(A-1) दिनांक 30-07-2022	स्वामी विवेकानन्द यूनिवर्सिटी, सागर, मध्य प्रदेश	एल0एल0एम0	2014

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
विशेष सचिव।

गृह विभाग

[गोपन]

अनुभाग-4

नियुक्ति

29 जुलाई, 2022 ई0

सं0 55रा0/22-7/5/2020-सी0एक्स0-4—उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 1986 (यथासंशोधित) के नियम 16 (1) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री सैय्यद आसिफ कमाल, अनुभाग अधिकारी को दिनांक 01 जुलाई, 2022 के पूर्वान्ह से अनु सचिव के रिक्त पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 56रा0/22-7/5/2020-सी0एक्स0-4—उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 1986 (यथासंशोधित) के नियम 16 (1) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री इन्द्र सेन, समीक्षा धिकारी को दिनांक 01 जुलाई, 2022 के पूर्वान्ह से अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद

वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500) पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

सं0 57रा0/22-7/5/2020-सी0एक्स0-4—उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय राजपत्रित अधिकारी और निजी सचिव सेवा नियमावली, 1986 (यथासंशोधित) के नियम 16 (1) के अधीन गठित चयन समिति की संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री कमलेश कुमार, समीक्षा धिकारी को दिनांक 01 जुलाई, 2022 के पूर्वान्ह से अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500) पर पदोन्नति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेष सचिव।

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

प्रोन्नति

25 अगस्त, 2022 ई0

सं0 1569/छः पु0से0-1-2022-डी0पी0सी0(एच0एल0)/2021—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड-पे रु0 8,900, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13क, रु0 1,31,100-2,16,600) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2022 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, उच्च वेतनमान (वेतनमान 37,400-67,000, ग्रेड पे-10,000) (पुनरीक्षित वेतनमान पे-मैट्रिक्स-14, रु0 1,44,200-2,18,200) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	रमेश प्रसाद गुप्ता	95	1992
2	केशव चन्द्र गोस्वामी	97	1992

2—उपर्युक्त प्रोन्नति आदेश रिक्तियों/परिणामी रिक्तियों (ऐसी रिक्तियां जिन पर मुहरबन्द लिफाफा, आस्थगित चयन अथवा अन्य किसी प्रकार से किसी व्यक्ति का धारणाधिकार न हो) के वास्तविक रूप में उपलब्ध होने पर उनकी ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे।

3—उक्तानुसार प्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य संबंधित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1570/छः पु0से0-1-2022-डी0पी0सी0(एस0एल0-1)/2021—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड-पे रु0 8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13, रु0 1,23,100-2,15,900) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2022 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-एक (वेतनमान 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,900, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13क, रु0 1,31,100-2,16,600) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
1	श्री अरविन्द मिश्र	125	1993

2—उपर्युक्त प्रोन्नति अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य संबंधित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1571/छः पु0से0-1-2022-डी0पी0सी0(एस0एल0-2)/2021—उत्तर प्रदेश प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग में कार्यरत अपर पुलिस अधीक्षक, (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-पे रु0 7,600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-12, रु0 78,800-2,09,200) में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2022 में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष श्रेणी-दो (वेतनमान 37,400-67,000, ग्रेड पे-8,700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स पे-लेवल-13, रु0 1,23,100-2,15,900) में प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक	आवंटन वर्ष
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	राम मोहन सिंह	195	1996
2	रोहित मिश्रा	196	1996
3	शिवराम यादव	197	1996

2—उपर्युक्त प्रोन्नति अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल प्रोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा अन्य संबंधित को अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

अनुभाग-2

कार्यालय-आदेश

06 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 331/छः पु0से0-2-22-522(19)/2022—गृह विभाग के अधीन आईपीएस अधिकारियों के, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर एवं वाराणसी का पद समाप्त करते हुये पुलिस अधीक्षक, लखनऊ ग्रामीण, कानपुर आउटर एवं वाराणसी ग्रामीण पद के सृजन के साथ-साथ निम्नवत् पद सृजित किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्र0 सं0	पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या	संगठन/इकाईवार
1	2	3	4
1	अपर पुलिस महानिदेशक, पे मैट्रिक्स लेवल-15 (1,82,200-2,24,100)	3	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-02, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-01
2	पुलिस महानिरीक्षक, पे मैट्रिक्स लेवल-14 (1,44,200-2,18,200)	3	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-02, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-01
3	पुलिस उप महानिरीक्षक, पे मैट्रिक्स लेवल-13ए (1,31,100-2,16,600)	6	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-02, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-04
4	पुलिस अधीक्षक, पे मैट्रिक्स लेवल-10 (56,100-1,77,500)	32	जनपद लखनऊ/गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली-17, कानपुर/वाराणसी नगर में आयुक्त प्रणाली-11 साइबर क्राइम थाना—01, ए0टी0एस0 का सुदृढ़ीकरण-02+01

2—यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या ई-12-151 (ई0ओ0)/दस-2022, दिनांक 04 अप्रैल, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

03 अगस्त, 2022 ई0

सं0 834/22-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)—मा0 न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार गुप्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं—

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 27 जनवरी, 2021 से 29 जनवरी, 2021 तक 03 (तीन) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 01 फरवरी, 2021 से 05 फरवरी, 2021 तक 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

आज्ञा से,
कृष्ण गोपाल,
विशेषसचिव।

11 अगस्त, 2022 ई0

सं0 977/22-पच्चीस-1-6/2/3/2013-सी0एक्स0(1)–(1) श्री सौरभ श्रीवास्तव तथा (2) श्री ओम प्रकाश शुक्ला, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है, द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2022 को अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है।

आज्ञा से,
दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव।

वित्त विभाग

[लेखा परीक्षा]

अनुभाग-1

सेवा-निवृत्ति

21 जनवरी, 2022 ई0

सं0 आडिट-1-134526/दस-2022–सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा संगठन के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष 2022 में 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर, अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में उल्लिखित दिनांक के अपरान्ह् में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवा निवृत्त हो जायेंगे–

क्र0 सं0	कोटि क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	जन्म-तिथि	सेवा निवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
		सर्वश्री–			
1	1	अवनीन्द्र दीक्षित	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	12-04-1962	30-04-2022
2	4	कृष्णपाल	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	15-05-1962	31-05-2022
3	19	वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी	19-01-1962	31-01-2022
4	25	उमाशंकर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	30-06-1962	30-06-2022
5	27	विजय शंकर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	25-08-1962	31-08-2022
6	37	रामनिवास मिश्रा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	03-08-1962	31-08-2022
7	45	हरि नारायण मिश्रा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	08-12-1962	31-12-2022
8	57	सत्य प्रकाश द्विवेदी	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	07-04-1962	30-04-2022
9	59	विश्वनाथ वर्मा	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	25-09-1962	30-09-2022
10	697	अशोक कुमार सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	15-01-1962	31-01-2022
11	728	सुरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी	03-06-1962	30-06-2022

आज्ञा से,
संजय कुमार,
सचिव।

प्रोन्नति

31 अगस्त, 2022 ई0

सं0 आडिट-1-207103/दस-2022—उत्तर प्रदेश सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा विभाग के अन्तर्गत उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी (वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुये श्री राज्यपाल द्वारा उ0प्र0 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग के निम्नलिखित जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत करते हुये उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	प्रस्तावित तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	सुशील कुमार सिंह	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, फर्रुखाबाद	देवीपाटन मण्डल
2	विजय शंकर	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, संतकबीर नगर	मुख्यालय लखनऊ
3	आनन्द प्रकाश पाठक	जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, कन्नौज	आजमगढ़ मण्डल

2—सम्बन्धित अधिकारी अपने पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,
नितिन कुमार गुप्त,
अनु सचिव।

[वित्त सेवायें]

अनुभाग-1

सेवा-निवृत्ति

04 अगस्त, 2022 ई0

सं0 1/198426/2022—राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत श्री अरुण प्रकाश द्विवेदी, उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

सं0 1/198737/2022—राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत श्री विनय कुमार, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय बचत, निदेशालय, उ0प्र0 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31 मार्च, 2023 के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आज्ञा से,
मोहम्मद शाहिद,
विशेष सचिव।

विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]

सेवा-निवृत्ति

01 अगस्त, 2022 ई0

सं0 1889(1)/वि0प0-267/84—श्री विजेन्द्र सिंह, निजी सचिव, श्रेणी—1, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 जुलाई, 2023 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

नियुक्ति

04 अगस्त, 2022 ई0

सं0 1916(1)वि0प0-20/12—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के रिक्त विशेष सचिव के अस्थायी पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क (1,31,100-2,16,600) में उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय, सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधानानुसार नियम-6 (1-ख) के अधीन गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली, 1976 के नियम-30 (क) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री विजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव को विशेष सचिव के अस्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क (1,31,100-2,16,600) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

सं0 1917(1)वि0प0-20/12—उत्तर प्रदेश विधान परिषद् सचिवालय के विशेष सचिव के पद पर श्री विनय कुमार सिंह की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त हुये संयुक्त सचिव के पद पर उत्तर प्रदेश परिषद् सचिवालय सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2019, नियम-6 (1-ख) के प्राविधानानुसार गठित समिति की संस्तुति पर माननीय सभापति, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मूल नियमावली 1976 के नियम-30 (क) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत श्री राम सागर शुक्ल, उप सचिव को संयुक्त सचिव के अस्थायी पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-13 (1,23,100-2,15,900) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-4

पदोन्नति

20 जनवरी, 2022 ई0

सं0 48/11-4-2022-30(12)/21—वाणिज्य कर विभाग में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर के पद कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य (विभागीय), वाणिज्य कर अधिकरण के पद पर (वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10,000 पे मैट्रिक्स लेवल-14) एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	नारायण कुमार अग्रवाल	1018
2	असफाक अहमद	1127

2—उक्त पदोन्नत अधिकारी अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण के कार्यालय में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3—उक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

अनुभाग-1

25 जनवरी, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-124/11-2022-08/2021—वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) को वर्तमान पद पर कार्यभार

ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे–

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		सर्वश्री/सुश्री–
1	2491	आशीष शुक्ला
2	2493	श्वेता तोमर

सं0 राज्य कर-1-125/11-2022-07/2021–वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु0 15,600-39,100 एवं ग्रेड पे रु0 7,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके ज्वाइन्ट कमिश्नर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे–

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		सर्वश्री–
1	1895	सूर्यकान्त तिवारी
2	1896	विजय कुमार झा

सं0 राज्य कर-1-126/11-2022-06/2021–वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 7,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु0 8,700 (पे मैट्रिक्स लेवल-13) एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके एडीशन कमिश्नर ग्रेड-2 के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे–

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		सर्वश्री/श्रीमती–
1	1414	रूबी सिंह-I
2	1415	राम प्रवेश प्रसाद
3	1416	दीनानाथ
4	1418	राजेश कुमार-V
5	1421	विजय प्रकाश राम
6	1426	राम प्रकाश-III

तैनाती

07 अप्रैल, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-452/11-2022-22/2022–वाणिज्य कर विभाग के निम्नलिखित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर (वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड पे रु0 8,700 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) को कार्यभार ग्रहण

करने की तिथि से वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड पे रु0 8,900 (पे मैट्रिक्स लेवल-13क) में एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान करते हुये निम्न तालिका के कालम-4 में अंकित रिक्त पद/स्थान पर तैनात किया जाता है–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती–		
1	सत्यपाल सिंह-II	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील)-2, गोरखपुर	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर, सहारनपुर
2	गुना सिंह बौनाल	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील), चतुर्थ गाजियाबाद	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर, कानपुर-प्रथम
3	गोविन्द सिंह बुद्धियाल	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील)-1, गोरखपुर	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर, गाजियाबाद-प्रथम
4	सुनील कुमार राय	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर, गोरखपुर
5	ज्योत्सना पाण्डेय	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील), बुलन्दशहर	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर, प्रयागराज
6	रवीन्द्र नाथ शुक्ला	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (अपील), पंचम कानपुर	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्यकर, अलीगढ़।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

कार्यालय-ज्ञाप

17 जून, 2022 ई0

सं0 रा0क0-1-651/11-2022-973(3)/2022–श्रीमती भावना अग्रवाल, असिस्टेन्ट कमिश्नर सचल दल चतुर्थ इकाई राज्य कर गाजियाबाद को आयुक्त राज्य कर उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय से एतद्द्वारा सम्बद्ध किया जाता है।

2–उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

पदोन्नति

06 जुलाई, 2022 ई0

सं0 राज्य कर-1-859/11-2022-08/2021–राज्य कर विभाग के निम्नलिखित सहायक आयुक्त, राज्य कर (वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड रु0 5,400 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10) को वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 6,600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11) एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। इनके उपायुक्त, राज्य कर के पद पर तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे–

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	2	3
		सर्वश्री/सुश्री–
1	2506	अंजुमन निकहत जाफरी
2	2507	अलका श्रीवास्तव

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–29 हिन्दी गज़ट–भाग 1–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 23, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

06 अक्टूबर, 2022 ई0

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) अन्तर्गत)

सं0 132/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 × 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–रामपुर घनश्यामपुर में स्थित 0.6840 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9720/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा, तहसील एटा, परगना एटा सकीट, ग्राम रामपुर घनश्यामपुर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांष के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	रामपुर घनश्यामपुर	120	0.0053
				121	0.0023
				122	0.0120
				119	0.3261
				123 स	0.1471
				113	0.1772
				114	0.0140
				योग. .	**0.6840**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

————————————शून्य————————————

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 × 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क " हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–रामपुर घनश्यामपुर में स्थित 0.6840 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9720/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा।

NOTIFICATION

October 06, 2022

[Under Sub-Section (1) of Section 19 of the Act]

No. 132/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9720/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.6840 hectres of land in the villages Rampur Ghanshyampur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A)submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Rampur Ghanshyampur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Rampur Ghanshyampur	120	0.0053
				121	0.0023
				122	0.0120
				119	0.3261
				123 स	0.1471
				113	0.1772
				114	0.0140
				Total. .	**0.6840**

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation (in hect)
1	2	3	4	5	6
				Nil	

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9720/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.6840 hectares of land in villages Rampur Ghanshyampur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 133/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 x 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–चाचरमऊ में स्थित 0.0267 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9717/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्‌देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट, ग्राम– चाचरमऊ की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांष के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा सकीट	एटा सकीट	चाचरमऊ	2	0.0260
				104	0.0007
				योग. .	**0.0267**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
			—शून्य—		

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा ''2 × 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क '' हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–चाचरमऊ में स्थित 0.0267 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9717/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09 जून, 2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)
कलेक्टर, एटा।

No. 133/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9717/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of **0.0267** hectres of land in the villages **Chacharmau** Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Chacharmau Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Chacharmau	2	0.0260
				104	0.0007
				Total. .	**0.0267**

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
			Nil		

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no **9717/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022** for **0.0267** hectares of land in villages **Chacharmau** Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 134/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 X 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–निगोहहसनपुर में स्थित 0.0813 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9708/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09 जून, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02 अगस्त, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट, ग्राम निगोहहसनपुर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा सकीट	एटा सकीट	निगोहहसनपुर	260	0.0036
				176	0.0589
				1340 स	0.0040
				28 स	0.0037
				185 स	0.0111
				योग. .	**0.0813**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6

––––––––––––––––शून्य––––––––––––––––

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 × 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क " हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–निगोहहसनपुर में स्थित 0.0813 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9708/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)

कलेक्टर, एटा।

No. 134/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9708/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0813 hectres of land in the villages Nigohhasanpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of **0.00** hectares in villages **Nigohhasanpur** Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah Sakeet	Etah Sakeet	Nigohhasanpur	260	0.0036
				176	0.0589
				1340 स	0.0040
				28 स	0.0037
				185 स	0.0111
				Total. .	**0.0813**

SCHEDULE- B
(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
			Nil		

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9708/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.0813 hectares of land in villages Nigohhasanpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 135/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम– शीतलपुर में स्थित 0.0748 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9722/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम शीतलपुर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्यापि्त कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा सकीट	एटा सकीट	शीतलपुर	17	0.0748
				योग. .	**0.0748**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
——————————————शून्य——————————————					

टिप्पणी:–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना
(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क " हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–शीतलपुर में स्थित 0.0748 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9722/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी लघु कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा।

No. 135/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9722/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0748 hectres of land in the villages Sheetalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Sheetalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Sheetalpur	17	0.0748
				Total. .	**0.0748**

SCHEDULE- B
(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
			Nil		

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9722/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.0748 hectares of land in villages Sheetalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of Small farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 136/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–एटा देहात में स्थित 0.6432 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9710/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट, ग्राम एटा देहात की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांष के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	एटा देहात	314	0.0066
				346	0.0004
				349	0.0087
				533/2	0.6275
				योग. .	**0.6432**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
——————————————शून्य——————————————					

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660मे0वाट जवाहरुपर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क " हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–एटा देहात में स्थित 0.6432 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9710/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त/लघु कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा।

No. 136/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9710/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.6432 hectres of land in the villages Etah Dehat Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02-08-2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector (LA) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Etah Dehat Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Etah Dehat	314	0.0066
				346	0.0004
				349	0.0087
				533/2	0.6275
				Total. .	**0.6432**

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9710/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.6432 hectares of land in villages Etah Dehat Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal/small farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 137/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 × 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–लालगढ़ी में स्थित 0.0272 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9711/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट, ग्राम लालगढ़ी की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	लालगढ़ी	874	0.0272
				योग. .	**0.0272**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
——————————————शून्य——————————————					

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा ''2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क '' हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–लालगढ़ी में स्थित 0.0272 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9711/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),

कलेक्टर, एटा।

No. 137/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9711/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0272 hectres of land in the villages Lalgarhi Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02-08-2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Lalgarhi Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Lalgarhi	874	0.0272
				Total. .	**0.0272**

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
			Nil		

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9711/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.0272 hectares of land in villages Lalgarhi Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is

required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 138/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 X 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–मुख्तायलपुर में स्थित 0.2182 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9719/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट ग्राम– मुख्तायलपुर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	मुख्तायलपुर	41 अ	0.2000
				33 अ	0.0182
				योग. .	**0.2182**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
——————————————शून्य——————————————					

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा ''2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क '' हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–मुख्तायलपुर में स्थित 0.2182 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9719/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी लघु कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा।

No. 138/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9719/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.2182 hectres of land in the villages Muktayalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Muktayalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Muktayalpur	41 अ	0.2000
				33 अ	0.0182
				Total. .	**0.2182**

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
			Nil		

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9719/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.2182 hectares of land in villages Muktayalpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of Small farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 139/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 X 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–नरहरा में स्थित 0.0052 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9715/अ0जि0 भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट, ग्राम नरहरा की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	नरहरा	3	0.00028
				5 स	0.00023
				7	0.00065
				187	0.00186
				217	0.00016
				5	0.00202
				योग. .	**0.0052**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
——————————————शून्य——————————————					

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा ''2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क '' हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–नरहरा में स्थित 0.0052 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9715/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा।

No. 139/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9715/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of **0.0052** hectres of land in the villages Narhara Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02-08-2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Narhara Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Narhara	3	0.00028
				5 स	0.00023
				7	0.00065
				187	0.00186
				217	0.00016
				5	0.00202
				Total. .	**0.0052**

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
			Nil		

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9715/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.0052 hectares of land in villages Narhara Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 140/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 X 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–बाबरपुर में स्थित 0.1680 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9714/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भमि ूअर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट, ग्राम–बाबरपुर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांष के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	बाबरपुर	41 स	0.1680
				योग. .	**0.1680**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
			——————————————शून्य——————————————		

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 × 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क " हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–बाबरपुर में स्थित 0.1680 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9714/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा।

No. 140/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9714/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.1680 hectres of land in the villages Babarpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08-2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Babarpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Babarpur	41 स	0.1680
				Total. .	0.1680

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9714/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.1680 hectares of land in villages Babarpur Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 141/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 X 660 मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम– बरथरी में स्थित 0.0123 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9718/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट, ग्राम– बरथरी की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांष के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	बरथरी	915/2	0.0123
				योग. .	**0.0123**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
——————————————शून्य——————————————					

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा ''2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क '' हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम– बरथरी में स्थित 0.0123 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9718/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा।

No. 141/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9718/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0123 hectres of land in the villages Barthari Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of **0.00** hectares in villages Barthari Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Barthari	915/2	0.0123
				Total. .	**0.0123**

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
			Nil		

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9718/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.0123 hectares of land in villages Barthari Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW Jawaharpur Thermal Power Project through Jawaharpur Vidyut

Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 142/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2ग660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम– कीलरमऊ में स्थित 0.0191 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9721/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट, ग्राम– कीलरमऊ की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	कीलरमऊ	1093	0.0042
				1119	0.0006
				1120	0.0022
				1121	0.0023
				1096	0.0003
				983 क	0.0010
				984	0.0011
				985 क	0.0008
				986	0.0022
				988 क	0.0036
				929	0.0008
				योग. .	**0.0191**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
——————————————शून्य——————————————					

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2 X 660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क " हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–कीलरमऊ में स्थित 0.0191 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9721/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा।

No. 142/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9721/ADM (LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0191 hectres of land in the villages Keelarmau Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.00 hectares in villages Keelarmau Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
Etah	Etah	Etah Sakeet	Keelarmau	1093	0.0042
				1119	0.0006
				1120	0.0022
				1121	0.0023
				1096	0.0003
				983 क	0.0010
				984	0.0011
				985 क	0.0008
				986	0.0022
				988 क	0.0036
				929	0.0008
				Total. .	**0.0191**

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
			Nil		

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9721/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.0191 hectares of land in villages Keelarmau Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 143/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम– उद्दनपुर रामनगर में स्थित 0.0585 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9709/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर (भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा, तहसील एटा, परगना एटा सकीट, ग्राम उद्दनपुर रामनगर की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	उद्दनपुर रामनगर	224	0.0385
				243	0.0200
				योग. .	**0.0585**

अनुसूची–ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6

————————————शून्य————————————

टिप्पणी :–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क " हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम– उद्दनपुर रामनगर में स्थित 0.0585 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9709/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे

द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा।

No. 143/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9709/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.0585 hectres of land in the villages Uddanpur Ramnagar Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02-08-2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of **0.00** hectares in villages Uddanpur Ramnagar Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Uddanpur Ramnagar	224	0.0385
				243	0.0200
				Total. .	**0.0585**

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no 9709/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 for 0.0585 hectares of land in villages Uddanpur Ramnagar Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

सं0 144/अ0जि0भू0अ0/आगरा–जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क "हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–लोयाबादशाहपुर पीतमसिंह में स्थित 0.4260 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक 9716/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 02.08.2022 को प्रकाशित की गयी थी। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर(भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा–19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर एटा घोषणा करने का निदेश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला एटा तहसील एटा परगना एटा सकीट, ग्राम– लोयाबादशाहपुर पीतमसिंह की शून्य भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	लोयाबादशाहपुर पीतम सिंह	305	0.4260
				योग. .	**0.4260**

अनुसूची–ख
(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
			————————शून्य————————		

टिप्पणी :– उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर एटा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

(अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत)

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा "2X660मे0वाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, मलावन, एटा के एटा से मलावन रेल नेटवर्क " हेतु जनपद एटा परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम–लोयाबादशाहपुर पीतमसिंह में स्थित 0.4260 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित 9716/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09.06.2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू–स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, एटा के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर, एटा।

No. 144/A.D.M.(L.A.)Agra–Whereas Preliminary notification no. 9716/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022 was issued under sub-section(1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.4260 hectres of land in the villages Loya Badshahpur Peetamsingh Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah is required for public purpose, namely, Rail Network for transportation of coal & oil for 2x660MW, Jawaharpur Thermal Power Project, Malawan, Etah Through Jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam Limited and lastly published on dated 02.08.2022 The ADM(E) Etah was appointed as Administration for the purpose of rehabilitation and settlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector(L.A) submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collecter, Etah is pleased to declare under section 19(1) of the Act Under the power of Governor with the government order dated August 06, 2014 he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of **0.00** hectares in villages Loya Badshahpur Peetamsingh Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Etah to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISTION)

District	Tehsil	Pargana	Villages	Gata No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Loya Badshahpur Peetamsingh	305	0.4260
				Total. .	**0.4260**

SCHEDULE- B

(Land Indentified Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no	Area marked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
Nil					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of acquisition.

Notification of Declaration by Collector

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the ACT]

By the order of declaration made under Government notification no **9716/ADM(LA) Agra Dated: 09-06-2022** for **0.4260** hectares of land in villages **Loya Badshahpur Peetamsingh** Pargana Etah Sakeet Tehsil Etah district Etah, is required for Rail Network for 2X660 MW jawaharpur Thermal Power Project through jawaharpur Vidyut Utpadan Nigam limited, I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector Etah for the purpose of land acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

पी0एस0यू0पी0—29 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 23, 1944 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

कार्यालय, जिला पंचायत, कौशाम्बी

निम्नांकित उपविधि का प्रकाशन जन सामान्य को सूचनार्थ किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक महीने के अन्दर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कौशाम्बी के कार्यालय मे सुझाव अथवा आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उक्त अवधि के उपरान्त किसी सुझाव अथवा आपत्ति पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित करने की उपविधि

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदप्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत कौशाम्बी ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 औधोगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औधोगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उददेश्य से निम्न उपविधियां बनायी है। यह उपविधि जिला पंचायत कौशाम्बी ने अपने प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 24.12.2021 द्वारा प्रस्तावित किया है, जो आयुक्त महोदय प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज के द्वारा अधिनियम की धारा 242(2) में दी गयी शक्ति का प्रयोग कर पुष्टि किये जाने के उपरान्त राजकीय गजट पत्र (गजट) में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

1–अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 से है।

2–ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण या यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3–विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4–मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाईन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Elegible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5–निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6–भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मम्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7–छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8–ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिये किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9–निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जो कि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो ।

10–तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11–फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12–भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13–ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14–ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जो कि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15–प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से हैः–

अ–अभियंता–अभियंता, जिला पंचायत कौशाम्बी

ब–अवर अभियंता–इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16–कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत कौशाम्बी से है।

17–अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18–स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19–रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20–सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोडी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21–अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत कौशाम्बी से है।

22–जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत़ कौशाम्बी से है।

23–अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत कौशाम्बी से है।

24–बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25–मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके उपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके उपर की छत के मध्य हों।

26–भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नस या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके

अन्तर्गत टेन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते है, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28—व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पैट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्याधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खडे हो सकते है, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं है, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of Indian standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभाष की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत कौशाम्बी के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी ।

(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा।

1. उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

अ—ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

ब—सफेदी व रंग-रोशन के लिए ।

स—प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए ।

य—पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए ।

र—प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण ।

व—मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड्ढा भरना।

(ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर

मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा ।

1. स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगाः–

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा ।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा ।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा ।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी ।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2. प्रस्तावित भवन परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा ।

अ–प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित

ब–नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर

स–नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर

द–भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र

य–भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जेसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन

र–स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

ल–नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित का पूरा पता।

व–नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3. बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी–

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) ।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

(ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियां

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि

अ–प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब–प्रस्तावित निर्माण धर्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो।

स–प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो ।

(घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1–क–एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

ख–भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी।

ग–लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

घ–बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लाट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

ड–बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

च–राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी भू-खण्ड के डेड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

छ–बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2–निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है।

क–जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम,विद्युत उप केन्द्र आदि।

ख–मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

ग–ढके हुए पैदल पथ आदि।

3–क–आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

ख–छत की सीलिंग की ऊंचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

ग–ए०सी० कमरे की ऊंचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

घ–रसोईघर की ऊंचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

ड़–संयुक्त संडास (TOILET) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

च–खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिए।

छ–तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4–क–पार्क, टोट–लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

ख–30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट–बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

ग–भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5–स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा सवयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा ।

6–बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रांस्फार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा ।

(ड़) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सडकों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

(च) विकसित जनपदों की सूची (I)

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद (प्रयागराज), बरेली, सहारनपुर, अलीगढ, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर एवं झाँसी।

(छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे–

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (I) के अनुसार जनपदों में (मीटर)	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में (मीटर)
1	**2**	3	4	**5**	**6**
				मीटर	मीटर
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड **500** वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500–2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यावसायिक भवन				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केंद्र, शॉपिंग माल्स, व्यावसायिक केंद्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राईमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
	(i) सामुदायिक केंद्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
	(ii) धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
	(iii) धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रैंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बसडिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए० टी० एम०	100	1.00	6	6

(ज) सेट बैक (set back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सामने (Front) मीटर	साईड (side) मीटर	पीछे (Rear) मीटर	लैंड स्केपिंग (landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्गमीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

(झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	एक ECU प्रति 50 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रूम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्गमीटर स्वीकृत (FAR) का

(ञ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिस

(i) तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौडा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौडाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(ii) अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से०मी०, राईजर अधिकतम 19 से०मी०,एक फ्लाईट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii) अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

(iv) घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

(v) उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

(vi) उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग–4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंक्लर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैंन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

(ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	2	3	4
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305 m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

(ठ) मोबाइल टावर्स की स्थापना

(क) मोबाइल टावर्स की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) जनरेटर केवल 'साइलैंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

(ग) यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए।

(घ) जहाँ अपेक्षित हो, वहां टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(ड़) सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आश्य का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार कि क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी का होगा।

(च) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(छ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिये सूची (I) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रूपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रूपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापर्णीय (Non-Refundable) होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

(ज) शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी ।

(ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

क–आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन

सूची (I) के अनुसार जनपदों मे-सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 50 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 25 प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख–व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन

सूची (I) के अनुसार जनपदों में सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 100 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर रु0 50 प्रति वर्ग मीटर होगी।

ग–(i) भूमि की प्लाटिंग-भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लाटों में बाँटना।

(ii) भूमि विकास-भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि।

(iii) भूमि का उपभोग-भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर०सी०सी० पाईप आदि।

(iv) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग-(i) से (iv) तक, सूची (I) के अनुसार जनपदों में रु0 20 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

घ–पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी।

ड़–स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी।

च–बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जायेगी।

छ–यदि स्वीकृती के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी।

ज–उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियंत्रित होगी ।

झ–सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें रु0 20 प्रति वर्ग मीटर एवं अन्य जनपदों में रु0 10 प्रति वर्ग मीटर होंगी। ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी ।

ण–सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दर रु0 10 प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में रु0 5 प्रति मीटर होगी ।

नोट–(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

(ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1–स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय मे जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3—कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4—कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5—अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6—अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7—अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8—अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परीयोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शें के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9—जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लियें एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शें की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तो के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित

किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

(त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2—भू-खण्ड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3—भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (**Stilt Parking**) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व सुविधाओं के रख रखाव व सेवा तल (**Service Floor**) भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4—निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो के 5 किमी0 की परिधि में 30 मी0 से ऊंचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6—उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7—मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे ।

8—इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9—इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंधनकर्ता के विरूद्ध सी0आर0पी0सी0 की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

(थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (seal) किया जा सकता है।

(क) अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह, अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर दे।

(ख) पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

(ग) कोई भी व्यक्ति,कम्पनी,फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(द) दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत कौशाम्बी यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा । जो अंकन रु0 1000 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रू0 50 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

विजय विश्वास पन्त,
मण्डलायुक्त,
प्रयागराज।

पी0एस0यू0पी0—29 हिन्दी गजट—भाग 3—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 अक्टूबर, 2022 ई० (आश्विन 23, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत छुटमलपुर, जनपद सहारनपुर

विविध उपनियमावली

01 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 155/न0पं0छु0/2022-23–नगर पंचायत छुटमलपुर, जनपद सहारनपुर में नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 एवं उसमें दी गई विविध उप धाराओं तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देश के क्रम में–

1–वाणिज्य नियन्त्रण एवं लाइसेंस शुल्क उप नियमावली 2–भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपनियमावली 3–बिल एवं विज्ञापन शुल्क उपनियमावलियों को बनाया गया जिसको प्रशासक, नगर पंचायत छुटमलपुर/प्रभारी अधिकारी (स्था0नि0)/अपर जिलाधिकारी (प्र0), जनपद सहारनपुर द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2022 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। उपविधि पर दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु उपनियमावलियों को नियमानुसार समाचार-पत्रों 1-दैनिक जागरण 2-अमर उजाला में दिनांक 24 अगस्त, 2022 से दिनांक 23 सितम्बर, 2022 तक समाचार-पत्रों के माध्यम से 30 दिन के अन्दर आपत्ति आमंत्रित की गयी है, किन्तु 30 दिन के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

अतः नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) के अन्तर्गत उपविधि को गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने हेतु सेवा में भेजा जा रहा है। उपविधि राजकीय-पत्र (गजट) में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी माना जायेगा।

परिभाषा–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों में–

1–उपविधि का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत छुटमलपुर जनपद–सहारनपुर द्वारा बनाई गई उपविधि से है।

2–अधिनियम से तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

3–नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत छुटमलपुर सहारनपुर से है।

4—अधिसूचना से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।

5—विहित अधिकारी का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।

6—कर/शुल्क का तात्पर्य विभिन्न उपनियमावलियों में वर्णित विविध मदों पर लगाये गये कर/शुल्क से है।

7—नगर पंचायत क्षेत्र सें तात्पर्य नगर पंचायत छुटमलपुर सहारनपुर की सीमा के अन्तर्गत आने वाले उसके अधिसूचित क्षेत्र से है।

8—नगर पंचायत छुटमलपुर. सहारनपुर से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-घ के खण्ड-1 के उपखण्ड (क) के अधीन व उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन गठित नगर पंचायत से है।

9—सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य ऐसी जगह से है—जो किसी की निजी सम्पत्ति न हो और आम जनता के उपयोग-उपभोग के लिये खुला हो। चाहे ऐसी जगह नगर पंचायत में निहित हो अथवा नहीं।

10—संक्रमित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो नगर पंचायत के अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं। लेकिन वर्तमान में निकाय के आबादी क्षेत्र में प्रसार होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधायें जैसे-सड़क, नाला-नाली का निर्माण साफ-सफाई, पेय-जल, प्रकाश व्यवस्था नगर पंचायत छुटमलपुर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है पर भी यह नियमावली लागू समझी जायेगी।

11—अध्यक्ष नगर पंचायत से तात्पर्य निकाय छुटमलपुर की जनता द्वारा चुने गये अध्यक्ष से है।

12—अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत छुटमलपुर में अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त/कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

13—प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य निकाय के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय से है।

14—प्रशासक से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा नगर पंचायत छुटमलपुर, सहारनपुर के लिये प्रशासक के पद पर नियुक्त किये गये अधिकारी से है।

15—लेखाकार/लेखा लिपिक से तात्पर्य शासन के आदेश के अनुक्रम में निकाय में नियुक्त किये गये लेखाकार/लेखालिपिक से है।

16—कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/लिपिक से तात्पर्य नगर पंचायत छुमलपुर में इन पदों पर कार्यरत समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/लिपिक से है।

17—अन्य बातों के रहते हुए अगर किसी शब्द की परिभाषा उपविधियों में प्रसारित नहीं है, तब उसका अर्थ नगरपालिका अधिनियम में दी गई परिभाषा से लिया जायेगा।

18—नगर पंचायत सेवक से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो नगर पंचायत से वेतन प्राप्त करता है और उसकी सेवा में हो।

19—ठेकेदार से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने सीलबन्द निविदा देकर या सरेआम बोली लगाकर ठेके को वसूलने का नगर पंचायत से अधिकार प्राप्त किया हो।

1—वाणिज्य नियंत्रण एवं लाइसेन्स शुल्क उपनियमावली

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—(1) नगर पंचायत छुटमलपुर, सहारनपुर की वाणिज्य नियन्त्रण लाइसेन्स उपनियमावली कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

(3) इस नियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

नियम व शर्तें–

क्र0सं0	विवरण	प्रस्तावित दरें
1	2	3
		रु0
1	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाऊस 10 शैया	1000.00 प्रतिवर्ष
2	तीन सितारा होटल	9000.00
3	पॉच सितारा होटल	12000.00
	नर्सिंग होम	
4	नर्सिंग होम (10 बेड तक)	1000.00 प्रतिवर्ष
5	नर्सिंग होम (10 बेड से 20 बेड तक)	2000.00 प्रतिवर्ष
6	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	2000.00 प्रतिवर्ष
7	प्रसूति गृह (20 बेड से 50 बेड तक)	3000.00 प्रतिवर्ष
8	प्राईवेट अस्पताल	2000.00 प्रतिवर्ष
9	पैथालॉजी सैन्टर	1000.00 प्रतिवर्ष
10	एक्सरें/अल्ट्रसाउण्ड क्लीनिक	1000.00 प्रतिवर्ष
11	डेन्टल क्लीनिक	2000.00 प्रतिवर्ष
12	प्राइवेट क्लीनिक	1000.00 प्रतिवर्ष
	परिवहन	
13	आटो रिक्शा (2सीटर)	360.00 प्रतिवर्ष
14	आटो रिक्शा (7सीटर)	720.00 प्रतिवर्ष
15	आटो रिक्शा (4सीटर)	500.00 प्रतिवर्ष
16	मिनी बस	1500.00 प्रतिवर्ष
17	बस	2500.00 प्रतिवर्ष
18	तांगा	50.00
19	रिक्शा किराये पर	150.00
20	रिक्शा निजी चालित	50.00
21	ठेला/ठेली	100.00
22	हाथ ठेला	50.00
23	बैल गाड़ी/भैंसा गाड़ी	150.00
24	रेहडा मोटर–साईकिल	500.00
25	ट्रॉली	150.00
	अन्य व्यवसाय	
26	फाइनेन्स कम्पनी/चिट फण्ड	4000.00 प्रतिवर्ष
27	इन्शोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	4000.00
28	पशुवध (स्लाटर हाऊस)	10.00
29	हड्डी, खाल, सींग, गोदाम	1000.00
30	बार-बियर	6000.00
31	आईस फक्ट्री	200.00
32	लघु उद्योग	500.00
	दुकान	
33	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5000.00 प्रतिवर्ष
34	देशी शराब की दुकान (प्रति दुकान)	6000.00 प्रतिवर्ष
35	अंग्रेजी शराब/बियर की दुकान (प्रति दुकान)	12000.00 प्रतिवर्ष

1	2	3
	पशुपालन	रु0
36	पालतू पशु प्रति	10.00
37	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	350.00 प्रति पशु
38	कांजी हाउस में बन्द जानवर प्रति खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	10.00 प्रतिदिन
39	प्रति खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैंस, घोड़ा आदि)	25.00 प्रतिदिन

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत छुटमलपुर, सहारनपुर यह निर्देश देती है की उपरोक्त उपविधि में दिये उपनियमों में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर मु0 1000.00 (एक हजार रूपये) अर्थदण्ड दिया जायेगा जो किसी भी दशा में रूपये 2500.00 (दो हजार पॉच सौ रूपये से कम नहीं होगा)। यदि अपराध निरन्तर करता मिलता है तो दोष सिद्ध होने के दिनांक से अंकन रूपये 25.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना दण्डनीय होगा।

2—भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपनियमावली

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—(1) यह उपनियमावली नगर पंचायत छुटमलपुर, सहारनपुर की भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियमावली कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(2) उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्राविधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्राविधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

(3) इस नियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

(4) ''भवन'' का तात्पर्य किसी मकान, उपग्रह, अस्तवज, झादक (शेड), झोपड़ी या अन्य बाड़ा या ढॉचे से है, चाहे वह पक्की ईंट लकड़ी, मिट्टी, धातु या चाहे किसी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहे उसका उपयोग मनुष्य के रहने के लिये अथवा किसी अन्य कार्य के लिये किया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा, मकान की कुर्सी, जीना, देहली, दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से सनलग्न न हो की चारदीवारी से भिन्न किसी आहते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बू या अन्य कोई परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नहीं है।

(5) ''नक्शा नवीस/मानचित्रकार/ड्रॉफ्टमैन'' का अभिप्राय नगर पंचायत छुटमलपुर, सहारनपुर के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्र/नक्शा से है।

(6) ''व्यवसायिक निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो व्यापार, उद्योग या अन्य व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित किया गया हो।

(7) ''जनोपयोगी सेवा के निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो कि जनकल्याण किये जाने से होगा, जिसमें वृद्धा आश्रम व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित आवास से है।

(8) शासकीय सम्पत्ति से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत छुटमलपुर, सहारनपुर की सीमा में किया गया हो, जिसमें अस्पताल, थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय आदि के भवन से है।

(9) ''निवास गृह'' से तात्पर्य ऐसे भवनों से है जिनका उपयोग तीर्थ यात्रियों को ठहराने के लिये अथवा यात्रियों के आवास के लिए निर्मित हो, से है।

नियम व शर्तें—(1) आवासीय भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 1—प्रथम तल 100 वर्ग मीटर तक 10 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 101—200 वर्ग मीटर तक 12 रूपये प्रति वर्ग मीटर तथा 200 वर्ग मीटर से ऊपर प्रत्येक वर्ग मीटर पर 15 रूपये शुल्क देय होगा तथा बेसमेन्ट बनाने का शुक्ल 20 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

2—व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हाल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक काम्प्लैक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन के लिए मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल की आच्छादित क्षेत्रफल पर प्रथम 100 वर्ग मीटर पर 15 रूपये प्रति वर्ग मीटर, 101 वर्ग मीटर या इससे अधिक पर 20 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लागू होगा तथा बेसमेन्ट बनाने का शुल्क 30 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

3—औद्योगिक भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 50 रूपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से देय शुक्ल होगा।

4—शैक्षिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ एवं जनोपयोगी सेवा के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 12 रूपये प्रति वर्ग मीटर तथा बेस मेन्ट 20 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

(क) भू-तल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के समस्त भवन/मंजिल, तल अथवा बहुमंजिल भवन भूकम्प रोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किये जायेंगे।

(ख) निर्मित किये जाने वाले भवनों में 101—200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर भवन निर्माण करते समय जल संचयन हेतु सोकपिट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा। 201—300 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर भवन निर्माण करते समय क्षेत्रफल सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत कंकरीट रहित कच्चा छोड़ना होगा तथा 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर भवन निर्माण करने के लिये छतवर्षा, जल संचयन प्रणाली/रूफ रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली सिस्टम अपनाना अनिवार्य होगा।

(ग) वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्धन या नियंत्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री) आदि हो उनमें संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम 1916(2) की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था तथा दैनिक सफाई सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

(घ) ऐसे समस्त भवनों जिनके लिये अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो, उनके निर्माण पूर्व होने के उपरान्त अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, प्रस्तुत करने में विफल रहने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(ड़) पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा एवं गिरजा घर आदि से 200 वर्ग मीटर अर्धव्यास में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नहीं किया जायेगा। परन्तु उपरोक्त दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है तो वह मान्य होगी।

(च) उपर्युक्त धार्मिक स्थल निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

5—स्वीकृति की अवधि—

(क) पुनः वैधीकरण/स्वीकृत उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार एक बार केवल छः माह के लिये होगा, जिसके लिये प्रथम स्वीकृति शुल्क की 1/2 भाग धनराशि देय होगी। इसके उपरान्त पुनः वैधीकरण/स्वीकृति नहीं दी जायेगी तथा पुनः नोटिस दिया जायेगा।

(ख) यदि भवन स्वामी उक्त नियम 5(क) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व स्वीकृति को पुनः वैध नहीं कराता है, तो अवधि दिनांक से तीन माह तक पुनः वैधीकरण शुल्क के साथ रूपये 50 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा तभी आवेदन-पत्र पर विचार किया जायेगा। इसके उपरान्त पुनः वैधीकरण शुल्क सहित सामान्य दर पर जुर्माना अदा करने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जायेगा।

(ग) भवन मानचित्र स्वीकृति की अवधि के दिनांक से छः माह की अवधि में ही पुनः वैधीकरण प्रभावी होगा।

6—नगर पंचायत छुटमलपुर के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा।

7—प्रत्येक प्रकार की चार दीवारी के लिये प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिये रूपये 100 तथा प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्गमीटर या उसके भाग पर रूपये 50 की दर से शुल्क देय होगा।

8—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916(2) की धारा 121—क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों एवं परिसीमा के अधीन जो विहित की जायेगी किसी भवन, मार्ग या नाले के निर्माण को नियन्त्रित तथा विनियमित कर सकेगी।

9—उपरोक्त उपनियम/ भवन निर्माण के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा।

10—नगर पंचायत की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत छुटमलपुर के द्वारा लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नवीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा।

11—मानचित्रकार/नक्शा नवीस के सम्बन्ध में—

(क) नगर पंचायत द्वारा एक मानचित्रकार/नक्शा नवीस प्रत्येक वर्ष मानचित्र निर्माण हेतु रखा जायेगा। मानचित्र का लाइसेन्स प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पूर्व माह फरवरी या मार्च में आगामी वर्ष के लिये अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(ख) मानचित्रकार के लाइसेन्स स्वीकृति होने के नियम व शर्तें नगर पंचायत कार्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ग) प्रत्येक मानचित्र के आवेदन का शुल्क 100 वर्ग मीटर तक 500 रुपये प्रति मानचित्र तथा 100 वर्ग मीटर से अधिक 800 रुपये प्रति मानचित्र पर देय होगा। जिसका भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा किया जायेगा

और शुल्क प्राप्ति की रसीद मानचित्रकार द्वारा आवेदन कर्ता को उपलब्ध कराई जायेगी। जिसकी सूचना मानचित्रकार नगर पंचायत कार्यालय को देगा।

(घ) मानचित्रकार का लाइसेन्स शुल्क 5000 रूपये वार्षिक होगा।

(ड़) निकाय बोर्ड द्वारा 2 तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय स्वीकृति प्राप्त कर मानचित्र बनाने के शुल्क एवं मानचित्रकार के लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि की जा सकती है लेकिन इन शुल्कों में किसी भी स्थिति में कटौती/कमी नही की जा सकती है।

12—व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

13—नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कालोनी का निर्माण बिना नगर पंचायत की स्वीकृति के नही होगा, तथा प्रत्येक कालोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिये कुल भूमि का 2 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क देय होगा। व्यवसायिक आवेदन मानचित्र शुल्क 1000 रु0 होगा।

(क) कालोनी की सड़के कम से कम 3 मीटर चौड़ी होगी तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड कम से कम 6 मीटर चौड़ी होगी।

(ख) कालोनी में नाली, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था कालोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

(ग) कालोनी की सडक पक्की करने की जिम्मेदारी भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले की होगी।

(घ) कालोनी में पेडों आदि की व्यवस्था भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले की होगी।

(ङ) कालोनी में पार्क आदि का निर्माण करना होगा।

(च) यथा सम्भव सडकें समकोण पर मिलाई जायेगी।

(छ) कालोनी में जल पूर्ति के लिये पाईप लाइन व बिजली की व्यवस्था भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

(ज) कालोनी स्वीकृत कराने वाले को कालोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात् पूर्णतया का प्रमाण पत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा इसके पश्चात उक्त कालोनी नगर पंचायत के प्रबन्धन में जायेगी और कालोनी में गृह कर/जल कर आदि देय प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत का होगा, तथा कालोनी में विभिन्न सुविधाओं एवं उसके रख-रखाव का उत्तरदायित्व नगर पंचायत की होगी।

(झ) जहॉ पर निर्माण सम्बधी नियम स्पष्ट नही, वहॉ पर नैशनल बिल्डिंग कोड (एन0बी0सी0) के प्राविधान लागू होगें।

14—किसी भी मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं शपथपत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

15—मानचित्र स्वीकृति होने के पश्चात यदि भूमि का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/सार्वजनिक पायी जाती है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

16—भवन निर्माण के सम्बन्ध में नगर पालिका अधिनियम में दिये प्राविधान एवं समय समय पर जारी किये गये शासनादेश इस उपनियमावली पर प्रभावी होगें।

17—भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण करते समय नगर पंचायत कार्यालय द्वारा समय समय पर उसका निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा और निरीक्षण के उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

18—कोई भी व्यक्ति यदि अपने मकान के सामने आगे आने के लिये गली/सड़क की नाली व नाला छापना चाहेगा उसकी भी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

19—भवन सम्बन्धी पत्रावली 5 वर्ष तक रखी जायेगी। समय व्यतीत होने पर नष्ट कर दी जायेगी।

20—मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण पूर्ण होने पर स्वामी द्वारा नगर पंचायत कार्यालय से भवन निमार्ण पूर्ण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

21—बोर्ड अपने 2 तिहाई सदस्यों की स्वीकृति अथवा अधिशासी अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की स्वीकृति से उपनियमावली से किसी भी धारा में परिवर्तित कर सकता है या कोई नई धारा जोड़ सकता है जो उपनियमावली पर प्रभावी समझी जायेगी। लेकिन उपनियमावली में वर्णित किसी शुल्क में कोई कमी नही की जा सकती है।

दण्ड

अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा, लेकिन प्रतिबन्ध यह कि ऐसा निर्माण अगर नियमानुसार निर्मित है, तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाइसेन्सधारी नक्शा नवीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत कराने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को समझौता शुल्क 500.00 रूपये से लेकर नियमित कर सकेगा लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिये समझौता शुल्क 1000.00 रूपये लिया जायेगा।

3—बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति—(1) यह उपनियम नगर पंचायत छुटमलपुर, सहारनपुर बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली कहलायेगी, जो नगर पंचायत छुटमलपुर के अधिसूची क्षेत्र एवं संक्रमित क्षेत्र में राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

2—नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा दो तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की सहमति से इस नियमावली के नियम व शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है जो नियमावली पर प्रभावी होगा लेकिन नियमावली के प्रभाव क्षेत्र में कमी करने एवं शुल्क में कमी करने का कोई भी स्वीकृत प्रस्ताव/सहमति नियमावली पर प्रभावी नही होगा।

3—नियमावली के नियम व शर्तों को कियान्यवित कराने का दायित्व नगर पंचायत कार्यालय पर होगा।

4—उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 मे दिये प्रावधान तथा समय—समय पर जारी किये गये शासनादेश इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

5—इस नियमावली के लागू होने के बाद इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेगें।

नियम व शर्तें—(1) नगर पंचायत की सीमा के अन्दर अथवा संक्रमित क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी कम्पनी/फर्म अपने विज्ञापन के द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार—प्रसार करने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर ग्लोसाईन/साईन बोर्ड, वाल पेन्टिंग, बैनर, कटआउट, विज्ञापन पर बोर्ड पोस्टर, हैण्ड बिल लगायेगा उसे नगर पंचायत से या नगर पंचायत द्वारा नामित ठेकेदार से अनुमति लेकर ही लगाना होगा और उसका भुगतान नगर पंचायत को सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से निर्धारित शुल्क अदा कराना होगा।

2—विज्ञापनदाता विज्ञापन का प्रचार प्रसार ऐसे स्थानों को करेंगें ताकि कम्पनी, के प्रचार-प्रसार से मर्ज स्थान ऐतिहासिक स्थल की सूचना पर या अन्य किसी कम्पनी के प्रचार—प्रसार हेतु लगाये गये धारा (21) में प्रकाशित ग्लोसाईन आदि का विलुप्तिकरण न हो।

3—विज्ञापनदाता अपने आवेदन में एक सप्ताह पूर्व विज्ञापन का साइज, प्रकार आकार एवं समय सहित देगा तथा उपविधि में वर्णित शुल्क जमा करेगा।

4—विज्ञापन की अवधि समाप्त होने पर विज्ञापनदाता आवेदन करके विज्ञापन अवधि बढायेगा। यदि 30 दिन के अन्दर विज्ञापनदाता ऐसा नही करता है, जो उपनियम की धारा 2 में प्रकाशित ग्लोसाईन को नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा नामित ठेकेदार जब्त कर लेगा।

5—ग्लोसाईन बोर्ड आदि केवल सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों पर ही लगाये जायेगें। भले ही स्थान नगर पंचायत की सीमा के अन्दर किसी भी अन्य विभाग के हों।

6—नगर पंचायत प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मार्च के माह में विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु एक वर्ष के लिए ठेका उठायेगी और ठेका सीलबन्द निविदा/कुटेशन पर उठाया जायेगा।

7—ठेका प्राप्तकर्ता ठेकेदार को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा ठेके का समस्त धन एक मुश्त स्वीकृति की दिनांक के सात दिन के भीतर जमा करना होगा।

8—विज्ञापन शुल्क सरह—(1) दुकानों के नाम साथ—साथ या स्वतन्त्र रूप से अन्य किसी चीज का ग्लोसाईन/साईनबोर्ड लगाकर लिये जा रहे विज्ञापन के रू0 50 प्रति फिट प्रतिवर्ष की दर से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी।

(2) वाल पेन्टिंग रू0 300 प्रति वर्ग फिट वार्षिक।

(3) बैनर 20 वर्ग फिट रू0 10.00 प्रतिदिन।

(4) साईनबोर्ड/ग्लोसाईन बोर्ड (केवल कम्पनीयों के लिए) रू0 50.00 प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष।

(5) कटाउट विज्ञापन एक नग रू0 30.00 प्रति वर्ष ।

(6) बोर्ड पोस्टर रू0 400.00 प्रति सैकड़ा प्रति बार।

(7) पोस्टर हैंड बिल रू0 200.00

9—शुल्क मुक्त सूची—(1) दुकानों के सूचक, राजकीय एवं शासकीय तथा राष्ट्रीय पर्वों पर लगाये गये विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन शुल्क से मुक्त होंगे।

दण्ड

दण्ड उपविधि का उल्लंघन उक्त नियम या उपविधि का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रू0–1000.00 (एक हजार रूपये) तक हो सकेगा और जब भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेंगा, जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो। रू0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा।

अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण के लेखा पर कर नियमावली

नगर पंचायत छुटमलपुर सहारनपुर की सीमा के अन्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर आरोपित करने तथा उसकी वसूली करने के लिये नगर पंचायत छुटमलपुर द्वारा बनाये गये उपनियम का पाण्डूलेख–

1–**संक्षिप्त नाम**–(क) यह उपनियम नगर पंचायत छुटमलपुर जिला सहारनपुर की सीमा के अन्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के लेखों पर कर लगाने एवं वसूल करने सम्बन्धित उपनियम कहलायेगा।

(ख) यह उपनियम उत्तर प्रदेश राजकीय गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावी होगा।

(ग) यह उपनियम नगर पंचायत छुटमलपुर जिला सहारनपुर की सीमा के अन्तर्गत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के सभी लेखों पर प्रयुक्त होगा।

2–**कर का दायित्व**–किसी विपरीत अनुबन्ध की दशा में देय कर को देने का दायित्व भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 29 में वर्णित 'ड्यूटी' अदा करने वाले व्यक्ति का होगा।

3–कोई भी व्यक्ति जो नगर पंचायत छुटमलपुर, जिला सहारनपुर की सीमा में स्थित अचल सम्पत्ति का हस्तानान्तरण रजिस्टर्ड वसीयतनामा, लिखनामा, क्रय विक्रय अथवा रहनामा द्वारा करायेगा उस पर उपनियम प्रभावी होगा।

4–सभी हस्तान्तरण की जाने वाली अचल सम्पत्ति के कुल मूल्य पर अथवा भोग बन्धक यूसूपुबेचअरी मार्गों की दशा में लिखित दस्तावेज प्रतिशत धनराशि पर यह कर 2 प्रतिशत की दर से नगर पंचायत छुटमलपुर, जिला सहारनपुर को देय होगा।

5–अचल सम्पत्ति के हस्तानान्तरण के अवसर पर सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों या जैसी भी स्थिति हो के नगर पंचायत छुटमलपुर के लिये अचल सम्पत्ति मूल्य/स्टाम्प का शुल्क 2 प्रतिशत सब रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में जमा कराया जायेगा। 01 प्रतिशत रसीद के साथ ही साथ अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा निर्गत जमा धनराशि के सम्बन्धित प्रमाण–पत्र क्रेता को अपने अभिलेख के साथ कार्यालय को देने होंगे।

6–सम्बन्धित निबन्धन अधिकारी अचल सम्पत्ति के हस्तानानतरण से सम्बन्धित दस्तावेज के पंजीयन के समय नगर पंचायत छुटमलपुर के लिये 02 प्रतिशत शुल्क जमा करायेंगे। प्रमाण-पत्र इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 27 की उपधारा के अनुपालन को देखेंगें और उक्त रसीद तथा प्रमाण-पत्र दस्तावेज के साथ संलग्न न होने पर हस्तानान्तरण/पंजीयन स्वीकार नही करेंगे तथा इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 64 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की लिये उसे जिले के कलेक्टर के पास भेजेगें।

(ख) जब यह सन्देह उत्पन्न हो की किसी भूमि अथवा भवन का मालिक कौन है ऐसी दशा में अधिशासी अधिकारी निश्चय करेगा कि किस हैसियत मालिक नाम दर्ज किया जाये। और अधिशासी अधिकारी का निर्णय तब तक लागू रहेगा जब तक किसी न्यायालय के द्वारा निर्णीत न किया गया हो।

7–(क) यदि किसी भूमि अथवा भवन जिस पर कर लगाया गया हो उसके स्वामी अपनी मिलकियत किसी दूसरे को हस्तान्तरित करेंगे तो आवश्यक होगा कि रजिस्ट्री होने अथवा कब्जा दिये जाने के तीन मास के भीतर जो व्यक्ति सम्पत्ति हस्तान्तरित करें अथवा हस्तान्तरित की जाये वे नगर पंचायत को लिखित सूचना देकर इन्द्राज करा लें।

(ख) ऐसी भूमि और भवन जिस पर कर देय हो उसके मालिक की मृत्यु पर मालिक के उत्तराधिकारी द्वारा तीन मास के भीतर इस प्रकार प्रार्थना-पत्र देकर नाम दर्ज कराया जायेगा। किन्तु केवल नाम परिवर्तन होने की कार्यवाही में विलम्ब के कारण वसूली स्थगित न की जायेगी।

8–(क) पहले नियम के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु दिये गये नोटिस में साफ और सही विवरण दिये जावे जो कि उक्त नियम में दिये गये है।

(ख) कोई ऐसे व्यक्ति यदि अधिशासी अधिकारी द्वारा साक्ष्य मॉगा जाये तो साक्ष्य में इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1817 के अन्तर्गत नस्टूमेन्ट ऑफ ट्रॉसफर यदि कोई हो , उसकी कापी और मूल रूप में उनके सामने प्रस्तुत करें।

9–कर के आंशिक छूट या वापसी पाने के लिए ऐक्ट की धारा 151(2) के अधीन किसी भवन के मालिक जिसमे कई भवन हो कर निर्धारण के समय अधिशासी अधिकारी से प्रार्थना कर सकते है की उनकी कुल सम्पत्ति पर कर लगाते समय हर भवन का वार्षिक मूल्य अलग-अलग अंकित कर लिया जायें। जब कोई ऐसा भवन जिसका वार्षिक मूल्य अलग से किया गया है 90 या उससे अधिक दिन लगातार खाली रहे तो उस वर्ष में उस काल का ऐक्ट की धारा 151(1) के अधीन सामान्य दर मुक्त या वापिस दे दिया जायेगा। मानो वह उस मकान पर अलग से लगाया गया था।

10—ऐक्ट की धारा 129 के अधीन 300 मीटर अर्द्ध व्यास परिधि में कर लगाया जा सकेगा।

11—नगर पंचायत छुटमलपुर सहारनपुर की सीमा के अन्दर स्थिर अचल सम्पत्ति का कोई भी हस्तांतरण/बन्धक तब तक वैद्य नही माना जायेगा जब तक की उक्त 2 प्रतिशत कर की धनराशि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा न करा दी गयी हो।

12—सब रजिस्ट्रार के द्वारा निर्धारित शुल्क जमा न करने की दशा में कार्यालय नगर पंचायत में नगद/चैक/बैंक ड्राफ्ट या बैंक में, पंचायतकोष कार्यालय में जमा की जा सकती है।

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम की धारा-1916-299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत छुटमलपुर जिला सहारनपुर यह आदेश देती है की उक्त कर अदा करने का दायित्व रखने वाले व्यक्ति द्वारा उपनियम में वर्णित किसी एक अथवा सभी शर्तों का उलंघन करने पर अंकन एक हजार रूपये मात्र तक अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है यदि उलंघन जारी रहे अग्रेत्तर जुर्माना किया जा सकता है, जो प्रथम दोष सिद्ध दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए जिसमें यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी द्वारा अपराध करना जारी रखा गया है। 50.00 (पचास) रुपये प्रतिदिन हो सकता है।

13—नगर पंचायत छुटमलपुर के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किये गये है।

नगर क्षेत्र में टैंकर	केवल टैंकर रु0 300.00	ट्रैक्टर के साथ रु0 500.00
नगर के बाहर टैंकर (4 वर्ग किमी0 सीमा तक)।	केवल टैंकर रु0 500.00	ट्रैक्टर के साथ रु0 1000.00
मोबाईल टायलेट	केवल टायलेट रु0 1000.00	ट्रैक्टर के साथ रु0 1500.00
मोबाईल टायलेट नगर के बाहर (4 वर्ग किमी0 सीमा तक)।	केवल टायलेट रु0 1500.00	ट्रैक्टर के साथ रु0 2000.00
मृत्यु प्रमाण पत्र शुल्क	रु0 50.00	
जन्म प्रमाण पत्र शुल्क	रु0 100.00	
डोर टू डोर कूड़ा क्लेक्शन हेतु	सामान्य आवास रु0 30.00 प्रतिमाह	
डोर टू डोर कूड़ा क्लेक्शन हेतु	व्यावसायिक शुल्क प्रतिमाह 20 किग्रा0 से 50 किग्रा0 तक—80.00 रु0 50 किग्रा0 से 80 किग्रा0 तक—100.00 रु0 100 किग्रा0 से अधिक—150.00 रु0	
मैरिजहॉल	1000.00 रु0 प्रति कार्यक्रम	

ह0 (अस्पष्ट),
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
छुटमलपुर, सहारनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ0म0रे0 मुख्यालय सूबेदारगंज में सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य कार्यालय अधीक्षक पद पर वर्ष 2004 से श्यामशंकर शर्मा कार्यरत हूं। 31 अक्टूबर, 2022 को रेल सेवा से अधिवार्षिता पर सेवा-निवृत्त हो जाऊंगा। सेवा पुस्तिका में मेरा नाम श्याम शंकर पुत्र बाल गोविन्द, निवासी द्वारिकापुर, पोस्ट दिलीपपुर, जिला प्रतापगढ़ दर्ज है। श्याम शंकर शर्मा एवं श्याम शंकर दोनों मेरा ही नाम है। मेरे पहचान-पत्र, वेतन पर्ची, I-Pass, HRMS आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक खाता में श्याम शंकर शर्मा पुत्र स्व0 बाल गोविन्द शर्मा (बी0जी0 शर्मा) दर्ज है यही सत्य है मुझे श्याम शंकर शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाता है।

श्याम शंकर शर्मा,
पुत्र श्री बाल गोविन्द शर्मा,
निवासी 314/ए, रेल गांव,
रेलवे कालोनी, सुबेदारगंज,
प्रयागराज।

सूचना

मेरे हाई स्कूल वर्ष 2019, रोल नं0 05046360 के अंक-पत्र में मेरे पिता का नाम SHANKAR YADAV दर्ज है, जो गलत है। सही नाम SHIV SHANKAR

YADAV है। ARVIND KUMAR YADAV S/o SHIV SHANKAR YADAV मिश्र नेवरी, नियर टोल टैक्स बलिया।

अरविन्द कुमार यादव,
पुत्र शिव शंकर यादव,
निवासी मिश्र नेवरी,
नियर टोल टैक्स, जनपद बलिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे बैंक पास बुक, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 (EPIC) में पिता जी का नाम अब्दुल हमीद है। मैं उत्तर मध्य रेलवे में कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत हूं। वहां के सेवा पुस्तिका में मेरे पिता जी का नाम अब्दुल अहमद लिखा है। दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। मैं अपने समस्त दस्तावेजों में अपने पिता जी का नाम अब्दुल हमीद करवाना चाहता हूं।

इस्तखार अहमद,
पुत्र स्व0 अब्दुल हमीद,
नि0-196, पूराबल्दी, कीडगंज,
प्रयागराज।

सूचना

फर्म मे0 नानक चन्द कुन्दन लाल 1/11/249/वी/1 विक्रम नगर जलेसर रोड टेडी बगिया, आगरा पत्रवली संख्या एजी–12365 में दिनांक 12 अगस्त, 2022 को श्री सजल सचदेवा पुत्र स्व0 मदन लाल सचदेवा, निवासी 30 राम मोहन विहार दयालबाग, आगरा फर्म की भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हुये तद्दिनांक को श्री बृजेश तिवारी पुत्र स्व0 उमेश चन्द्र तिवारी, निवासी 104 एलोरा एन्क्लेव दयाल बाग, आगरा फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुये वर्तमान फर्म में भागीदार मोनिका तिवारी एवं बृजेश तिवारी है।

मोनिका तिवारी,
मे0 नानक चन्द्र कुन्दन लाल,
1/11/249/वी/1 विक्रम नगर जलेसर,
रोड टेडी बगिया, आगरा।

सूचना

पार्टनरशिप के विघटन 27 सितम्बर, 2022 को हुआ–

1–राम बचन निषाद आयु 42 वर्ष बौराई, अल्लाया, मछलीशहर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222201 और 2–रामयश पटेल आयु 49 वर्ष डफरा, गढ़ियावा, पट्टी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश-230124।

जबकि पार्टनर्स ने दिनांक 26 दिसम्बर, 2017, पंजीकरण संख्या 5267/7-वी-16470/10-01-2018 के तहत साझेदारी के एक विलेख के तहत खुद को एक व्यावसायिक फर्म में बनाया और नाम के तहत व्यवसाय किया और मेसर्स जय अम्बे वायरनिटींग इंडस्ट्रीज की शैली पंजीकृत पता प्लॉट नंबर जी-7, रोड नंबर 10, सीडा, सतहरिया इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश-222202, अनुबंधों, शर्तों के अनुसार और उक्त साझेदारी को भंग कर दिया जायेगा और उक्त व्यापार और व्यवसाय को समाप्त कर दिया जायेगा।

रामयश पटेल,
पार्टनर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स नसरुल्लाह कंस्ट्रक्शन, ग्राम खरजरवा, पो0 व जिला देवरिया, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 05 जुलाई, 2021 से शाफिउल्लाह अंसारी, अब्दुल रौफ, जकाउल्लाह अंसारी व वसीउल्लाह अंसारी एवं नसीम अहमद जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पत्रावली संख्या जी-2312 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदार शफीउल्लाह अंसारी जी की मृतक दिनांक 05 सितम्बर, 2022 को हो चुकी है तथा साझेदारी डीड दिनांक 06 सितम्बर, 2022 से नसीम अहमद जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा ले कर रिटायर्ड हो गये हैं और नुरैषा खातून एवं कलीमुल्लाह जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हुये है। अब उक्त फर्म में क्रमशः नुरैषा खातून, अब्दुल रौफ, जकाउल्लाह अंसारी व वसीउल्लाह अंसारी एवं कलीमुल्लाह जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन-देन बकाया नहीं है।

वसीउल्लाह,
साझेदार,
मेसर्स नसरुल्लाह कंस्ट्रक्शन,
ग्राम खरजरवा,
पो0 व जिला देवरिया, उ0प्र0।

सूचना

मेसर्स श्री गोपाल ट्रेडिंग कंपनी 27 ए, न्यू, मंडी, मुजफफरनगर का पंजी0 दि0 05 जून, 2009 को उप निबंधक फर्म्स सोसाइटी सहारनपुर द्वारा हुआ था रजिस्ट्रेशन के समय फर्म्स में श्री आदित्य भरतिया, श्रीमति अनुश्री, अंशुमन भरतिया और श्री गौरंग भरतिया पार्टनर थे। दिनांक 10 अगस्त, 2022 की डीड अनुसार श्री अंशुमन भरतिया और श्री गौरंग भरतिया रिटायर्ड हो गये। फर्म्स में अब श्री आदित्य भरतिया और श्रीमति अनुश्री पार्टनर रह गए हैं फर्म का पता बदल कर अब 27 ए/1 नई मंडी, मुजफ्फरनगर 251001 हो गया है

आदित्य भरतिया

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम बालकेश (BALKESH) गलत दर्ज हो गया है सही नाम मंगला प्रसाद पुत्र छोटेलाल है (MANGLA PRASAD S/o CHHOTELAL) भविष्य में मुझे मंगला प्रसाद पुत्र छोटे लाल के नाम से जाना व पहचाना जाय। मंगला प्रसाद पुत्र छोटे लाल करेहदा उपरहार प्रयागराज उ0प्र0।

मंगला प्रसाद।

पी0एस0यू0पी0–29 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।